लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/अ/50-1/2007-08/1035 भोपाल, दिनांक 13/06/08

//आदेश//

शिक्षक/प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय पद से व्याख्याता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु सम्पन्न पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा अनुसार पूर्व में **विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में पदोन्नति से वंचित रहे (छूटे हुये पदोन्नति प्रकरणों के संदर्भ में)** निम्नांकित शिक्षक/प्रधानाध्यापक को व्याख्याता उ.मा.वि. के पद पर वेतनमान रू. 5500-175-9000 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाकर शासन एकल नस्ती कमांक 1276/08 दिनांक 09.06.08 पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के कम में उनके नाम के सम्मुख कालम कमांक-6 में अंकित संस्था में विषयमान से व्याख्याता के रिक्त पद पर पदस्थ किया जाता हैं :-

स. क्र.	शिक्षक पद की वरिष्ठता दिनांक	शिक्षक/प्रअ का नाम एवं कार्यरत संस्था	जाति	स्नातकोत्तर का विषय	पदांकित संस्था	पत्र वरीयता दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	22/10/71	श्री सुरेन्द्र कोठारी, शा. विनोबा मावि, रतलाम	सामान्य	अर्थ शास्त्र	शा. उमावि पिपलौदा, रतलाम	15-03-07
2	02/08/72	श्री दत्तात्रय भालचन्दराव वैद्य, कार्या. लो.शि.सचालनालय म.प्र.	सामान्य	राजनीति	प्रोफार्मा पदोन्नति	15-03-07
3	29/07/74	श्री अब्दुल मलिक शेख, प्रअ, शा. मावि उर्दू क्र.5 देवास	सामान्य	उर्दू	श्री ना.वि.मन्दिर शा. उमावि क्र.1 देवास	15-03-07
4	19/03/81	श्री रामचरण मिश्रा, शा. मावि सायडिंग सतना	सामान्य	वाणिज्य	शा. उमावि कोटर, सतना	15-03-07
5	14/08/82	श्री वल्लभदास कोठारी, शा. मावि जामोन्या, खिलचीपुर, राजगढ़	सामान्य	वाणिज्य	शा. क. उमावि, खिलचीपुर, राजगढ़	15-03-07
6	11/01/90	श्री एस.आर. मुड़िया, शा. हाईस्कूल सीरेगांव, नरसिंहपुर	अजजा	राजनीति	शा. उमावि, गाडरवाड़ा, BTI नरसिंहपुर	15-03-07
7	27/08/90	श्री परदेशी परते, शा. मावि खूटे, सिवनी	अजजा	राजनीति	शा. उमावि, गंगेरुआ, सिवनी	15-03-07
8	28/08/90	श्री कुंवरसिंह, परते, शा. मावि चन्दनवाड़ाकलॉ, सिवनी	अजजा	राजनीति	शा. उमावि भोमा सिवनी	15-03-07
9	16/04/92	श्री अशोक कुमार पाटील, प्रअ, शा. मावि वनगॉव, छिन्दवाड़ा	अजा	हिन्दी	शा. बा. उमावि, मुलताई, बैतूल	15-03-07

10	09/09/96	श्री किशनलाल भाटी, प्रअ, मावि, हतुनिया, मन्दसौर	अजजा	वाणिज्य	शा. उमावि कर्जु मन्दसौर	15-03-07
11	30/11/96	श्रीमती शकुन परते, शा. मावि परमण्डल, बैतूल	अजजा	हिन्दी	शा. क.उमावि मुलताई, बैतूल	15-03-07
12	31/12/96	श्री रामप्रकाश माझी, मावि, गितौर भिण्ड	अजजा	हिन्दी	शा. उमावि पटेल ग्वालियर	15-03-07
13	31/12/96	श्रीमती बृजकुमारी माझी, मावि, दौनियापुरा, भिण्ड	अजजा	हिन्दी	शा. उमावि रेल्वे कॉलोनी, ग्वालियर	15-03-07
14	27/03/98	श्री लालसिंह मार्के, प्रअ, शा. उमावि अमरवाह, सीधी	अजजा	भूगोल	शा. उमावि अमरवाह, सीधी	15-03-07
15	28/03/98	श्रीमती नीमा रैकवार, प्रअ, शा. स0ना0. कन्या उमावि बैरसिया भोपाल	अजजा	हिन्दी	शा. कन्या उमावि बैरागढ़ भोपाल	15-03-07
16	30/04/98	श्री सेरोफिना तिग्गा, शा. हाईस्कूल मालीखेड़ी, भोपाल	अजजा	हिन्दी	शास. उमावि निशातपुरा भोपाल	15-03-07

2/ उपरोक्तानुसार पदोन्नत व्याख्याताओं को पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि पदोन्नत होने वाले शिक्षक के विरुद्ध किसी प्रकार के आपराधिक प्रकरण/विभागीय जांच/अनुशासनातमक कार्यवाही या ऐसी शास्ति जो उनकी पदोन्नति पर प्रभाव डालती हो तो नहीं है। यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उन्हें पदोन्नत पद के लाभ हेतु भारमुक्त न किया जाकर संचालनालय को वस्तुस्थिति के साथ अपने अभिमत सहित तत्काल अवगत करावें।

3/ पदोन्नत व्याख्याताओं के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख संबंधित के सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें कि जिस विषय में व्याख्याता पद पर पदोन्नत किया गया है उस विषय में संबंधित द्वारा विभागीय अनुमति प्राप्त कर संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यताधारी है, जिस वर्ग से पदोन्नत हुआ है उसी प्रवर्ग का सदस्य है साथ ही उनके नाम के सामने जो वरिष्ठता दिनांक अंकित है, वह शिक्षक संवर्ग अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग की ही वरिष्ठता दिनांक है, अन्य संवर्ग एवं अन्य विभाग की तो नहीं है ।

4/ पदोन्नत व्याख्याता के सेवा अभिलेख से इस बात की पुष्टि कर ली जायें, वे शिक्षक/प्रधानाध्यापक पद पर ही कार्यरत हैं और उनकी पदोन्नति उच्च श्रेणी शिक्षक की वरिष्ठता के आधार पर ही हुई हैं। अन्य पद की वरिष्ठता से इस पदोन्नति का कोई संबंध नहीं हैं।

5/ उपरोक्तानुसार पदोन्नत व्याख्याताओं द्वारा संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा वर्ष 2006 में अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण की हो तो उन्हें व्याख्याता पद की पत्र वरियता उनसे कनिष्ठ शिक्षकों के पदोन्नति आदेश अनुसार कालम क्रमांक 7 में अंकित दिनांक से **"काम नहीं दाम नहीं"** के सिद्धांत अनुसार देय होकर पदोन्नति मान्य होगी। व्याख्याता पद का वास्तविक लाभ उनके द्वारा व्याख्याता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा उन्हें किसी प्रकार के वित्तीय लाभ एवं एरियर्स की पात्रता नही होगी।

6/ पदोन्नत व्याख्याता के सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ली जाए कि वह स्कूल शिक्षा विभाग का ही शिक्षक है। अन्य विभाग यथा आदिम जाति कल्याण विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग आदि से अर्न्तविभागीय स्थानान्तरण हुआ हो उन शिक्षकों की वरिष्ठता शिक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मान्य होगी। यदि किसी पदोन्नत शिक्षक के संबंध में उपरोक्त शर्त की पूर्ति नहीं होती है तो उनकी पदोन्नति निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव अभिलेखित साक्ष्य सहित संचालनालय को भेजा जावे ।

7/ पदोन्नत व्याख्याताओं की वर्तमान पदस्थापना एवं पद में यदि जिला स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ हो तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी तद्नुसार पदोन्नति आदेश संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

8/ पदोन्नत व्याख्याता दिनांक 30 जून 2008 तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति पदांकित संस्था में व्याख्याता पद पर देंगे। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर एवं संबंधित द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने पर लिखित में आवेदन प्राप्त कर संबंधित की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि संबंधित प्राचार्य द्वारा अनिवार्यतः की जावें । तत्पश्चात इनकी पदोन्नति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।

9/ पदोन्नति समिति द्वारा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र दिनांक 11 जून 2002 में दिये गये मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 में उल्लेखित आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्रमांक/स्था.2/अ/50-1/2007-08/ 1096 भोपाल, दिनांक 13/06/08

प्रतिलिपिः-

1. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. निज सचिव, मान. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग उज्जैन, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, रतलाम, देवास, सतना, राजगढ़, नरसिंहपुर सिवनी, बैतूल, छिन्दवाड़ा, भोपाल, होशंगाबाद, मन्दसौर, भिण्ड, ग्वालियर एवं सीधी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
6. सहायक संचालक (लेखा) स्थानीय ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा जिला रतलाम, देवास, सतना, राजगढ़, नरसिंहपुर सिवनी, बैतूल, छिन्दवाड़ा, भोपाल, होशंगाबाद, मन्दसौर, भिण्ड, ग्वालियर एवं सीधी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि :-

(अ) उपरोक्तानुसार पदोन्नत शिक्षकों को पदांकित संस्था में कार्यमुक्त करने के पूर्व आदेश में अंकित शर्तो की पुष्टि एवं सत्यापन पदोन्नत आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर करने के उपरांत ही संबंधित

-4-

को कार्यभार ग्रहण करने हेतु भारमुक्त करें। आदेश में उल्लेखित शर्तो के संबंध में किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति पाये जाने पर अभिलेखीय साक्ष्य सहित संबंधित की पदोन्नति निरस्त करने हेतु प्रस्ताव अपने अभिमत सहित पदोन्नति आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम से भेंजे।

(ब) पदोन्नत व्याख्याता के पदांकित संस्था में विषयमान से पद रिक्त न होने की स्थिति में पदोन्नत व्याख्याता अपनी उपस्थिति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देंगे। इसके पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी रिक्त पद के मान से इनके पदांकन में संशोधन हेतु समुचित प्रस्ताव 07 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय में भेंजेगे ।

(स) उपरोक्त पदोन्नत व्याख्याताओं के नाम अथवा उनके समक्ष उल्लेखित संस्था में त्रुटि हो तो जिला शिक्षा अधिकारी इसके संशोधन का प्रस्ताव 07 दिवस की समयावधि में संचालनालय को भेंजे।

(द) नव पदोन्नत लोक सेवक द्वारा पदोन्नति उपरान्त पदांकित स्थल पर उपस्थिति दे दी हो तो उसकी जानकारी प्रपत्र–1 में एवं पदोन्नति का परित्याग करने अथवा निर्धारित समय सीमा में पदांकन स्थल में कार्य भार ग्रहण न करने की स्थिति में प्रपत्र–2 एवं 3 में पदोन्नति निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव संचालनालय को दिनांक 07 जुलाई 2008 तक अनिवार्य रुप से सहायक संचालक (स्थापना–2) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें ।

(ई) उपरोक्तानुसार समस्त निर्देशों का पालन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्यतः किया जावें । निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित संस्था के प्राचार्य/संस्था प्रमुख उत्तरदायी होगें ।

8. संबंधित संस्था प्रमुख की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पदोन्नति पश्चात् संस्था में कार्यभार ग्रहण करने हेतु भार मुक्त किये गये पदोन्नत व्यक्ति को ही संस्था में निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण कराकर इसकी सूचना तत्काल संचालनालय में भेंजे।

9. संबंधित शिक्षक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में अंकित शर्तो की पुष्टि के उपरांत जैसे ही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख द्वारा आपको पदोन्नति पश्चात् पदांकित संस्था हेतु भारमुक्त किया जाता है आप दिनांक 30 जून 2008 के पूर्व अनिवार्यतः पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करें। अन्यथा आपका पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

प्रपत्र –1

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला ....म.प्र.

क्रमांक /   दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक/स्था.2/ई/पदो./08/........ भोपाल दिनांक जून 2008 के अनुपालन में निम्नलिखित शिक्षक संवर्ग के लोक सेवको को व्याख्याता संवर्ग के पद पर पदोन्नत कर उनके सामने दर्शाई गई संस्था में पदस्थ किया गया है। संबंधित पदोन्नत लोक सेवक ने संचालनालय के आदेश के अनुक्रम में नीचे दर्शाये अनुसार पदांकन स्थल में पदभार ग्रहण कर अपनी उपस्थिति दे दी है।

स.क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	नाम एवं पदांकित संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना स्थल का नाम	पदांकन स्थल में पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला..........................

पृष्ठां.क्रमांक /   दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ ।
2. संबंधित प्राचार्य...
3. संबंधित ....की ओर सूचनार्थ ।
4. कार्यालयीन प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला..........................

प्रपत्र–2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला ....म.प्र.

क्रमांक/ दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक/स्था.2/ई/पदो./08/......... भोपाल दिनांक जून 2008 के द्वारा शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता संवर्ग में पदोन्नतियां की गई है इस आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित शिक्षक/प्र.अ. को उनके सामने दर्शित पदांकन स्थल में पदोन्नत कर पदस्थ किया गया था । संबंधित के द्वारा लिखित में यह सूचित किया गया है कि वे स्वैच्छिक रूप से पदोन्नति का परित्याग कर रहे और वे पदोन्नति पर नहीं जाना चाहते है । अतः लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक/स्था.2/ई/पदो./08/......... भोपाल दिनांक 11 जून 2008 के अनुक्रम में उपरोक्त शिक्षक संवर्ग का व्याख्याता संवर्ग में व्याख्याता के पद पर पदोन्नति का उक्त आदेश अप्रभावी हो गया है ।

स.क.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	नाम एवं कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना स्थल का नाम

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला...........................

पृष्ठां.क्रमांक/ दिनांक
प्रतिलिपिः–
1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ ।
2. संबंधित प्राचार्य...
3. संबंधित ....की ओर सूचनार्थ ।
4. कार्यालयीन प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला..........................

प्रपत्र–3

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला ....म.प्र.

क्रमांक/ दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक/स्था.2/इ/पदो./08/......... भोपाल दिनांक 11 जून 2008 के द्वारा शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता संवर्ग में पदोन्नति कर पदस्थापना की गई है इस आदेश मे यह उल्लेखित है कि दिनांक 25.06.08 तक जो पदोन्नत लोक सेवक पदांकित स्थल पर उपस्थिति नहीं देंगे उनका पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा । संचालनालय के उक्त आदेश द्वारा निम्नलिखित शिक्षक/प्र.अ. को व्याख्याता के पद पर पदोन्नत कर उनके नाम के सामने अंकित संस्था में पदस्थ किया गया था । उन्होंने निर्धारित तिथि तक नवीन पदांकित संस्था में अपनी उपस्थिति नहीं दी हैं। अतः संचालनालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 11 जून 2008 के अनुक्रम में संबंधित शिक्षक संवर्ग का व्याख्याता के पद पर पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त हो गया है । संबंधित को सूचनार्थ यह आदेश जारी किया जा रहा है ।

स.क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	नाम एवं कार्यरत संस्था	पदोन्नति उपरांत नवीन पदांकित संस्था का नाम

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला..........................

पृष्ठां.क्रमांक/ दिनांक
प्रतिलिपिः–
1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ ।
2. संबंधित प्राचार्य..
3. संबंधित ....की ओर सूचनार्थ ।
4. कार्यालयीन प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला..........................